

खंड-12

पत्र संख्या बी।सप।0 2-1008।97 मं०ता०—908

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री. क. प्रमोद कुमार चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी मंत्रालयों के आयुक्त,

महानिदेशक-सह-भारती महानिरीक्षक, बिहार,

सभी क्षेत्रीय भारती महानिरीक्षक,

भारती महानिरीक्षक (सभी क्षेत्र),

सभी जिलाधिकारी,

सभी जिला भारती अधिकारी,

सभी प्रमुख पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000

विषय—संविदा दिवस समारोह, 2000

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के परिपत्र संख्या 2195, दिनांक 2 अगस्त 1991 (प्रतिलिपि संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए परिपत्र की कड़िका 7 को निम्न प्रकार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है:—

7. (क) पटना तथा रांची को छोड़कर अन्य अनुमण्डलों/जिला मुख्यालयों में अगर कोई मंत्री अथवा राज्य मंत्री मण्डोत्तोलन कराना चाहें तो उन्हें इसकी सुविधा दी जाय।
- (ख) अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री मण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करें तो जिनकी मंत्री के रूप में कार्यावधि सबसे अधिक हो उनको मण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जाय। अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री ने मण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करें तो जिनकी मंत्री के रूप में कार्यावधि सबसे अधिक हो उनको मण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जाय। अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री ने मण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करें तो और मण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करने वाले की कार्यावधि समान हो तो मंत्री की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में क्रम में पहले आने वाले मंत्री को मण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जायेगी।
- (ग) अगर किसी जिला में कोई मंत्री नहीं हों और केवल राज्यमंत्री हों अथवा मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने मण्डोत्तोलन की इच्छा प्रकट नहीं की हो तो इच्छा प्रकट करने वाले राज्य मंत्री को मण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जायेगी। अगर एक जिला में एक से अधिक राज्य मंत्री ने मण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर की हो तो जिनकी राज्य मंत्री के रूप में कार्यावधि सबसे अधिक होगी, उन्हें मण्डोत्तोलन की सुविधा दी जायेगी।

2. उक्त निर्णय स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह पर लागू होगा।
3. उक्त परिपत्र के जोष अनुदेश यथावत रहेगा।
4. यह आदेश निम्न की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वामभाजन,
चन्द्रशेखर चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।

आप सं० 906,

प्रतिलिपि/त्रिनेडियर प्रभारी, बिहार ऐण्ड उडीसा सब-एरिया, दानापुर कैंटास्टेशन कमाण्डर तथा श्रीरामगढ़ की सूचनाएं अग्रसारित। पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000 ई०

2. कृपया प्राप्त सूचना इस विभाग की दें।

चन्द्रशेखर चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।

आप सं० 906,

प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिव। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। सहायक, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव। अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव। सभी मंत्रियों के आप्त सचिव। उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव। मुख्य सचिव के सचिव। सभी विभाग। सभी विभागाध्यक्ष। अधिष्ठाता निदेशक, आकाशवाणी, पटना। दूरदर्शन, पटना। महानिदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000

2. निदेशक, आकाशवाणी, पटना। दूरदर्शन, पटना। महानिदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क से अनुरोध है कि इस समारोह के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कृपया करें।

3. मानव संसाधन विकास विभाग से अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालय। कालेजों। स्कूलों को आवश्यक अनुदेश दें कि उनके यहां विशेष समारोह की व्यवस्था की जाय, जिसमें "जनगणमन" का सामूहिक राष्ट्रीय गान भी सम्मिलित रहे।

4. उत्पाद आयुक्त से अनुरोध है कि पत्र का कॉडिका 9 के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करें।

चन्द्रशेखर चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।